

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsgraj.org



क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 15/ 15751-15935

दिनांक :- 17/06/15

आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी  
नगर निगम/परिषद/पालिका  
समस्त, राजस्थान।

विषय :- नगरीय क्षेत्रों में सीवररेज कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा सीवर लाईन डाले जाने का कार्य किया जा चुका है/प्रगति पर है। निदेशालय के ध्यान में आया कि जिन नगरीय क्षेत्रों में सीवर लाईन डाल दी गई है, अथवा कार्य प्रगति पर है, उन क्षेत्रों में भवन मालिकों के द्वारा सीवर कनेक्शन प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं यह भी जानकारी प्राप्त हुई है, कि भिन्न-भिन्न नगरीय निकायों द्वारा सीवर कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र व सीवर कनेक्शन फीस अलग-अलग प्रपत्र में अलग-अलग दर से प्राप्त की जा रही है एवं पर्याप्त सीवर कनेक्शन जारी नहीं होने के कारण नागरिकों को असुविधा एवं निकायों द्वारा निर्मित एस.टी.पी. का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं, कि जिन स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन डाली जा चुकी है और उन लाईनों के सीवर डिस्पोजल की पूर्ण व्यवस्था है, उन क्षेत्रों में संलग्न आवेदन प्रपत्र आवेदकों से भरवाया जाकर आवेदन प्राप्त होने से 1 माह की अवधि में सीवर कनेक्शन जारी कर दिया जावे। यथा संभव सभी क्षेत्रों में केम्प लगाकर भी सीवर कनेक्शन जारी किये जाने की व्यवस्था की जावे। जिससे नगरीय क्षेत्र में निर्मित एस.टी.पी. का समुचित उपयोग हो सके। भविष्य में भी सीवर कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर 1 माह की अवधि में सीवर कनेक्शन जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

दिनांक :- 17/06/15

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 15/ 15936-16163

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाएँ, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय उप निदेशक (समस्त), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
5. अधीक्षण अभियन्ता/अधिकाधी अभियन्ता, नगर निगम/परिषद समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(क.क.शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता

नगर निगम/परिषद/पालिका .....



नये सीवर सम्बन्ध हेतु आवेदन पत्र

क्रमांक .....

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. भवन/स्थान का पूर्ण पता जंहा सीवर सम्बन्ध लेना है .....
4. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर .....
5. भवन का निर्मित क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर .....
6. भवन/स्थान की श्रेणी निजी आवास/राजकीय आवासगृह/कार्यालय/दुकान/अन्य
7. आवेदन की स्थिति : मालिक/किरायेदार/कब्जेदार
8. क. आवेदक का स्थायी पता .....
- .....
- ख. आवेदक का व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान का पता .....
9. सीवर सम्बन्ध का प्रयोजन : घरेलु/व्यावसायिक/औद्योगिक जगह
10. प्रकार स्थाई/अस्थायी
11. सीवर सम्बन्ध की साइज 100 एम. एम. 150 एम. एम.
12. जल सम्बन्ध की खाता संख्या .....

मैं सीवरेज नियमों के सम्बन्ध में समय समय पर प्रभावशाली समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न की जा रही है -

(1) जल सम्बन्ध का गत माह का बिल अन्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि जहां पर सीवर सम्बन्ध लिया जा रहा है। उस परिसर का जल सम्बन्ध स्वयं के नाम ही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सीवर सम्बन्ध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचना :-

1. आपका सीवर सम्बन्ध जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी के बिल में सीवर टैक्स वसूली की राशि अंकित ना हो तो सीवर सम्बन्ध की सूचना की पर्ची लेकर, सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से सम्पर्क करें।
2. आपके यहां लगे मेनहोल की पूर्ण सुरक्षा रखें।
3. यदि आपका बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो आप संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर बिल की राशि प्राप्त करें।
4. बिल सम्बन्धी शिकायत होने पर सहायक अभियन्ता के कार्यालय में सम्पर्क करें। वहां पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
5. सीवर लाईन में सीवर कनेक्शन के तहत यदि मैन हॉल अथवा सीवर लाईन टूट फूट होगी तो उसको सही अपने खर्च पर कराऊंगा अन्यथा निगम द्वारा सही करने पर नियमानुसार द्वारा जारी किये गये डिमांड के अनुसार निगम कोष में जमा कराऊंगा।
6. सीवर कनेक्शन का स्टॉपलाइन पर रोकना उचित होगा। घर का समस्त पानी निकासी जैसी रसोई, बाथरूम व लैट्रिन का कनेक्शन सीवर में करें।
7. सीवर कनेक्शन रजिस्टर्ड एवं अधिकृत ठेकेदार द्वारा ही कराया जावें।

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी निर्देश एवं सूचना पढ़कर हस्ताक्षर किये हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

**स्वच्छ भारत. स्वच्छ राजस्थान**

"एक कदम स्वच्छता की ओर"

नगर निगम/परिषद/पालिका .....

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र का इन्द्राज किया। पंजिका क्रमांक.....दिनांक.....

सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर

साइट रिपोर्ट

1. सीवर लाइन की भवन/स्थान से दूरी .....मीटर
2. जल सम्बन्ध है तो बिल खाता सं. 1. ....2. ....
3. रोड़ कटिंग का विवरण माप .....मीटर माप.....  
मीटर .....मीटर प्रकार: पेवर /साधारण डामर/डब्ल्यू बी. एम./पत्थर के चौके/  
सीमेंट कंकरीट राशि (1) रोडकट.....  
(2) सीवर कनेक्शन.....

योग :

दिनांक..... कनिष्ठ अभियन्ता लेखाकार सहायक अभियन्ता

स्वीकृति जारी करें/स्वीकृति जारी नहीं करें।

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी

सीवर सम्बन्ध प्रतिवेदन

1. सीवर सम्बन्ध चालू करने की दिनांक.....
2. सीवर सम्बन्ध के पाइप की साईज.....
3. पंजिका क्रं. सं. ....
4. आवंटित खाता सं. जिससे सीवर टैक्स वसूल किया जाना है .....  
सर्विस सं. ....
5. विशेष विवरण .....

सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर

लेखाकार

रसीद आवेदन पत्र

श्री/श्रीमति/ .....से (स्थान) .....

..... पर सीवर सम्बन्ध हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।

दिनांक .....

सीवर संबंध लिपिक



## घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पत्नि श्री .....

निवासी .....

जयपुर का हूँ शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त निवास स्थान का मैं स्वयं मालिक हूँ। यह कि मैं आपके कार्यालय द्वारा एक सीवर कनेक्शन उक्त प्लॉट में करवाना चाहता/चाहती हूँ। इस आवेदन को प्रस्तुत किया जा रहा है -

1. यह कि सीवर कनेक्शन के तहत यदि मेनहोल अथवा सीवर या लाईन में टूट-फूट होगी तो उसको अपने स्वयं के खर्चे से सही करवाउंगा/करवाउंगी, या निगम द्वारा सही करने पर नियमानुसार जारी किये गये डिमाण्ड के अनुसार निगम के कोष में राशि जमा कराउंगा/कराउंगी।
2. यह कि घर का समस्त पानी निकास, जैसे रसोई, स्नानघर, लेट्रिन का गन्दा पानी, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप फिटिंग कराके मास्टर ट्रेप लगे निजी सीवर चैम्बर में लाया जाकर सरकारी मेन होल से मिलान कर डिस्पोजल किया जायेगा।
3. यह कि आवेदन प्रपत्र में क्रम संख्या 1-7 के नियम का पालन करूंगा/करूंगी इसके अतिरिक्त भविष्य में कनेक्शन चार्ज व सीवरेज टैक्स सम्बन्ध में जो भी नियम/निर्देश होंगे मेरे द्वारा पालन किये जायेंगे।
4. यह कि मैं, सीवर कनेक्शन में सहभागिता लागू होने व जमा नहीं करायी गई होने पर निर्देशानुसार कनेक्शन स्वीकृति के साथ जमा कराने हेतु सहमत हूँ।
5. यह कि सीवर कनेक्शन की राशि जमा करने के उपरान्त 15 दिवस के रजिस्टर्ड प्लम्बर द्वारा सीवर कनेक्शन फिटिंग पूर्ण कराने का विहित प्रमाण पत्र कार्यालय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

### सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही है व इसमें मेरे द्वारा अण्डरटेकिंग की पालना की जायेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता